परिसर अध्ययन

(भाग १)

पाँचवीं कक्षा

भारत का संविधान

भाग 4 क

मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।

शिक्षा विभाग का स्वीकृति क्रमांक :
प्राशिसं/२०१४-१५/ह/भाषा/मंजूरी/ड-५०५/७२७ दिनांक २३.२.२०१५

परिसर अध्ययन

(भाग १)

पाँचवीं कक्षा

**महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे-४११००४**

I4WGDT

आपके स्मार्टफोन में 'DIKSHA App' द्वारा, पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर Q.R.Code के माध्यम से डिजिटल पाठ्यपुस्तक एवं प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित Q.R.Code में अध्ययन अध्यापन के लिए पाठ से संबंधित उपयुक्त दृक-श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रथमावृत्ति : २०१५
छठवाँ पुनर्मुद्रण : २०२१

© महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे ४११००४.
इस पुस्तक का सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के अधीन सुरक्षित है । इस पुस्तक का कोई भी भाग महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के संचालक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता ।

शास्त्र विषय समिति :

- **डॉ. रंजन केळकर, अध्यक्ष**
- श्रीमती मृणालिनी देसाई, सदस्य
- डॉ. दिलीप रा. पाटील, सदस्य
- श्री. अतुल देऊळगावकर, सदस्य
- डॉ. बाळ फोंडके, सदस्य
- श्री. राजीव अरुण पाटोळे, सदस्य-सचिव

भूगोल विषय समिति :

- **डॉ. एन. जे. पवार, अध्यक्ष**
- डॉ. मेधा खोले, सदस्य
- डॉ. इनामदार इरफान अजिज, सदस्य
- श्री अभिजित घोरपडे, सदस्य
- श्री सुशीलकुमार तिर्थकर, सदस्य
- श्रीमती कल्पना माने, सदस्य
- श्री रविकिरण जाधव, सदस्य-सचिव

नागरिक शास्त्र विषय समिति :

- **डॉ. यशवंत सुमंत, अध्यक्ष**
- डॉ. मोहन काशीकर, सदस्य
- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सदस्य
- डॉ. उत्तरा सहस्रबुद्धे, सदस्य
- श्री अरुण ठाकूर, सदस्य
- श्री वैजनाथ काळे, सदस्य
- श्री मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

मानचित्रकार : श्री रविकिरण जाधव

मुखपृष्ठ : श्रीमती अनुराधा डांगरे

चित्र एवं सजावट : श्री निलेश जाधव, श्री दीपक संकपाळ, श्री मुकीम तांबोळी, श्री संजय शितोळे, श्री विवेकानंद पाटील, श्री अमित जळवी, श्री प्रतिक काटे, श्री रुपेश घरत, श्री मनोज कांबळे, श्री समीर धुरडे (अंतरिक्ष से संबंधित छायाचित्र)

अक्षरांकन : मुद्रा विभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

कागज : ७० जी.एस.एम. क्रिमवोव

मुद्रणादेश : एन् /पिबी/२०२१-२२/(३८,००० प्रती)

मुद्रक : मे. साई ऑफसेट, कोल्हापूर

संयोजक

श्री राजीव अरुण पाटोळे
विशेषाधिकारी, शास्त्र

श्रीमती विनिता तामणे
सहायक विशेषाधिकारी, शास्त्र

श्री रविकिरण जाधव
विशेषाधिकारी, भूगोल

श्री मोगल जाधव
विशेषाधिकारी, इतिहास व नागरिक शास्त्र

श्रीमती वर्षा कांबळे
सहायक विशेषाधिकारी, इतिहास व नागरिकशास्त्र

भाषांतर संयोजन
डॉ. अलका पोतदार
विशेषाधिकारी, हिंदी

संयोजन सहायक
सौ. संध्या विनय उपासनी
सहायक विशेषाधिकारी, हिंदी

भाषांतरकार : श्री शालिग्राम तिवारी, श्री गिरिजाशंकर त्रिपाठी

समीक्षक : श्री धन्यकुमार बिराजदार, मंजुला त्रिपाठी

विशेषज्ञ : प्रा. शशि निघोजकर, श्री प्रकाश बोकील, सौ. वृंदा कुलकर्णी, डॉ. मंजु चोपड़ा

निर्मिति

श्री सच्चितानंद आफळे
मुख्य निर्मिति अधिकारी

श्री विनोद गावडे
निर्मिति अधिकारी

सौ. मिताली शितप
सहायक निर्मिति अधिकारी

प्रकाशक

श्री विवेक उत्तम गोसावी
नियंत्रक
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई-२५

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) **को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।**

राष्ट्रगीत

जनगणमन - अधिनायक जय हे
भारत - भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत - भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है । सभी भारतीय मेरे भाई-बहन हैं ।

मुझे अपने देश से प्यार है । अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है ।

मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो ।

मैं अपने माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूँगा/करूँगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूँगा/करूँगी ।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूँगा/रखूँगी । उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है ।

प्रस्तावना

'बालकों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम - २००९', 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप - २००५' और 'महाराष्ट्र राज्य पाठ्यक्रम प्रारूप २०१०' के अनुसार राज्य का 'प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम - २०१२' तैयार किया गया है। सरकार द्‌वारा स्वीकृत इस पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकों की यह नई शृंखला पाठ्यपुस्तक मंडळ शैक्षिक वर्ष २०१३-२०१४ से प्रकाशित कर रहा है । इस शृंखला की 'परिसर अध्ययन भाग - १ : पाँचवीं कक्षा' की पाठ्यपुस्तक आपके हाथों में देते हुए हमें विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है ।

अध्ययन - अध्यापन की संपूर्ण प्रक्रिया बालकेंद्रित होनी चाहिए, कृतिप्रधानता एवं ज्ञानरचनावाद पर बल दिया जाना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा के अंत में विद्‌यार्थी न्यूनतम क्षमताएँ एवं जीवन कौशल प्राप्त कर सकें, शिक्षण प्रक्रिया रोचक एवं आनंददायी हो जैसे उद्‌देश्यों को ध्यान में रखकर इस पुस्तक की रचना की गई है ।

इस पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु के अनुरूप अनेक रंगीन चित्र तथा मानचित्र दिए गए हैं । इस पुस्तक में 'बताओ तो', 'करके देखो', 'थोड़ा सोचो', 'पढ़ो और सोचो'- जैसे शीर्षकों के अंतर्गत कृतियाँ भी दी गई हैं । इससे विद्‌यार्थियों को पाठ्यांशों की संकल्पनाओं का आकलन करने एवं उनके दृढ़ीकरण में मदद मिलेगी । साथ ही यह पुस्तक उन्हें परिसर का निरीक्षण करने के लिए प्रवृत्त करती है । समय और विषय वस्तु के अनुरूप जीवन मूल्यों को भी विद्‌यार्थियों में निरूपित करने का सजग प्रयत्न किया गया है ।

पाठ्यांश की संकल्पनाओं का पुनरावर्तन हो, स्वयं अध्ययन को प्रेरणा मिले इन उद्‌देश्यों को ध्यान में रखकर स्वाध्यायों में भी विविधता लाई गई है । इस पुस्तक की रचना करते समय इस बात पर भी विचार किया गया है कि शिक्षक विद्‌यार्थियों का 'सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन' कर सकें ।

इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से विद्‌यार्थी अपने प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिसर से परिचित होंगे । परिसर की ओर देखने का उनका दृष्टिकोण स्वस्थ बने, उनमें समस्याओं के निराकरण एवं उपयोजनात्मक कौशलों का विकास हो, इसके लिए प्रयास किया गया है ।

प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक की भाषा विद्‌यार्थियों के आयुवर्ग के अनुकूल है । विषयों का विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र के रूप में विभाजन न करते हुए इन सभी विषयों की एक संकलित प्रस्तुति/रचना अंतर्विद्‌याशाखा की दृष्टि से की गई है । इससे किसी समस्या तथा विषय के अनेक आयामों को एकसाथ सीखने की दृष्टि विकसित होगी । महाराष्ट्र के सभी विद्‌यार्थियों के अनुभव जगत को ध्यान में रखकर यह पाठ्यपुस्तक तैयार करने का प्रयत्न पाठ्यपुस्तक मंडल ने किया है ।

इस पुस्तक को अधिक-से-अधिक निर्दोष एवं स्तरीय बनाने की दृष्टि से महाराष्ट्र के सभी भागों से चुने हुए शिक्षकों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों तथा पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों से इस पुस्तक की समीक्षा कराई गई है । प्राप्त सूचनाओं तथा सुझावों पर यथोचित विचार करके विषय समितियों द्‌वारा इस पुस्तक को अंतिम स्वरूप दिया गया है।

'मंडळ' के विज्ञान, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र विषयों की समितियों के सदस्यों, कार्यगट सदस्यों, गुणवत्ता परीक्षकों तथा चित्रकार के आस्थापूर्ण परिश्रम से यह पुस्तक तैयार हुई है । 'मंडळ' इन सभी का ह्रदय से आभारी है ।

आशा है कि विद्‌यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षक इस पुस्तक का स्वागत करेंगे ।

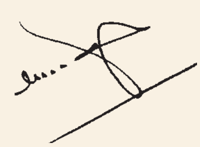

(चं.रा.बोरकर)
संचालक
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे

पुणे
दिनांक : ५ मार्च २०१५

शास्त्र विषय कार्यगट सदस्य : • श्रीमती सुचेता फडके • श्री वि. ज्ञा. लाळे • श्रीमती संध्या लहरे • श्री शैलेश गंधे • श्री अभय यावलकर • डॉ. राजाभाऊ ढेपे • डॉ. शमीन पडळकर • श्री विनोद टेंबे • डॉ. जयसिंगराव देशमुख • डॉ. ललित क्षीरसागर • डॉ. जयश्री रामदास • डॉ. मानसी राजाध्यक्ष • श्री सदाशिव शिंदे • श्री बाबा सुतार • श्री अरविंद गुप्ता.

भूगोल विषय कार्यगट सदस्य : • श्री भाईदास सोमवंशी • श्री विकास झाडे • श्री टिकाराम संग्रामे • श्री गजानन सूर्यवंशी • श्री पद्‌माकर प्रल्हादराव कुलकर्णी • श्री समनसिंग भिल • श्री विशाल आंधळकर • श्रीमती रफत सैय्यद • श्री गजानन मानकर • श्री विलास जामधडे • श्री गौरीशंकर खोबरे • श्री पुंडलिक नलावडे • श्री प्रकाश शिंदे • श्री सुनील मोरे • श्रीमती अपर्णा फडके • डॉ. श्रीकृष्ण गायकवाड • श्री अभिजित दोड • डॉ. विजय भगत • श्रीमती रंजना शिंदे • डॉ. स्मिता गांधी

नागरिकशास्त्र विषय कार्यगट सदस्य : • प्रा. साधना कुलकर्णी • डॉ. चैत्रा रेडकर • डॉ. श्रीकांत परांजपे • डॉ. बाळ कांबळे • प्रा. फकरूद्दीन बेन्नूर • प्रा. नागेश कदम • श्री मधुकर नरडे • श्री विजयचंद्र थत्ते

पाचवीं कक्षा : परिसर अभ्यास–भाग–१

अध्ययन के लिए सुझाई हुए शैक्षणिक प्रक्रिया	अध्ययन निष्पत्ति
सभी विद्यार्थियों को अनुभवों का अवसर गुट/जोड़ी–जोड़ी व्यक्तिगत रूप से देकर उन्हें निम्न बातों के लिए प्रेरित करना – • विद्यार्थियों को जोड़ी/गुट में/व्यक्तिगत अध्ययन का अवसर उपलब्ध कराना और निम्न बातों के लिए प्रोत्साहित करना । • प्राणियों में पाई जाने वाली असाधारण दृष्टि क्षमता, सूँघने की क्षमता, निद्रा इसी प्रकार प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि को उनकी प्रतिक्रिया आदि विषयों का निरीक्षण करना और खोज लेना । • आसपास के परिवेश के जल स्रोत, फल, धान (अनाज), जल हमारे घर तक कैसे पहुँचते हैं ? उनपर होने वाली विविध प्रक्रिया/तंत्रों जिनका इस्तेमाल या उपयोग कर खाद्‌यान्न का आटा और आटे से रोटी कैसे बनती है ? अथवा जल शुद्‌धीकरण की प्रक्रिया आदि विषयों में खोज करना । • विविध स्थलों की यात्रा या सैर करके एकत्रित की गई जानकारी के संदर्भ में सहपाठी, शिक्षक, जेष्ठों के साथ चर्चा करना और अनुभव–कथन करना। • एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मार्गदर्शक पथ तैयार करना । • तीक्ष्ण (तेज) ज्ञानेंद्रियों वाले प्राणी (श्रवण/दृष्टि/सूँघने की क्षमता) विविध भौगोलिक भू–भाग जैसे – मैदानी भूभाग, पहाड़ी भू–भाग, रेगिस्तान आदि जगहों की जैव विविधता, लोगों का जीवन इन विषयों के चित्र/जेष्ठ/पुस्तकें/ समाचारपत्र / पत्रिकाएँ / संजाल / संसाधन / वस्तुसंग्रहालय आदि से जानकारी प्राप्त करना । • विविध प्रदेशों में, विविध कालखंडों के खाद्‌यान्न, निवास, जल उपलब्धता, भरण–पोषण के साधन, रूढ़ी, परंपरा, तंत्र ऐसे समाज जीवन की विविध बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चित्रों, वस्तुसंग्रहालयों को भेंट देना, जेष्ठों के साथ चर्चा इन पद्‌धतियों का इस्तेमाल करना । • पेट्रोल पंप, निसर्ग केंद्र, विज्ञान वाटिका, जल प्रक्रिया केंद्र, बैंक, स्वास्थ्य केंद्र, वन्यजीव अभयारण्य, सहकारी केंद्र, ऐतिहासिक इमारतें, वस्तुसंग्रहालय आदि स्थानों को भेंट देना । वैसे ही संभव हो तो दूर के वैविध्यपूर्ण भूप्रदेशों को भेंट देना । उनकी जीवनशैली और आजीविका की पद्‌धति का निरीक्षण करना तथा वहाँ के निवासी लोगों से संभाषण करना और अलग–अलग तरह से अनुभवों का कथन करना। • पानी का वाष्पीकरन, संघनन, पानी में विविध परिस्थितियों में विविध पदार्थ किस तरह घुल मिल जाते हैं, खाद्‌यान्न कैसे खराब होते हैं, बीजांकुरण कैसे और कौन–सी दिशा में बढ़ते हैं आदि विविध घटकों का निरीक्षण और अनुभव कथन करना तथा उसकी खोज करने के लिए आसान प्रयोग या कृतियाँ करना।	**विद्‌यार्थी** 05.95A.01 प्राणियों की अति संवेदी इंद्रियों और असाधारण लक्षणों (दृष्टि, गंध, श्रवण, नींद, ध्वनि आदि) के आधार पर ध्वनि तथा भोजन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया की व्याख्या करते हैं । 05.95A.02 दैनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं (भोजन, जल आदि) और उन्हें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तथा तकनीकी को समझते हैं, दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न संस्थाओं (बैंक, पंचायत, सहकारी, पुलिस थाना आदि) की भूमिका तथा कार्यों का वर्णन करते हैं । 05.95A.03 पेड़–पौधों, प्राणियों तथा मनुष्यों में परस्पर निर्भरता का वर्णन करते हैं । (उदाहरण के लिए, आजीविका के लिए समुदायों की प्राणियों पर निर्भरता और साथ ही बीजों के प्रकीर्णन में प्राणियों और मनुष्य की भूमिका आदि) 05.95A.04 भू–क्षेत्रों, जलवायु, संसाधनों (भोजन, जल, आवास, आजीविका) तथा सांस्कृतिक जीवन में आपसी संबंध स्थापित करते हैं । (उदाहरण के लिए, दूरस्थ तथा कठिन क्षेत्रों जैसे – गर्म/ठंडे मरुस्थलों में जीवन ।) 05.95A.05 वस्तुओं, सामग्री तथा गतिविधियों का उनके लक्षणों तथा गुणों जैसे – आकार, स्वाद, रंग, स्वरूप, ध्वनि आदि विशिष्टताओं के आधार पर समूह बनाते हैं । 05.95A.06 अवलोकनों, अनुभवों तथा जानकारियों को एक व्यवस्थित क्रम में रिकॉर्ड करते हैं । (जैसे – सारणी, आकृतियाँ, बारग्राफ, पाई चार्ट आदि के रूप में) और कारण तथा प्रभाव में संबंध स्थापित करने हेतु गतिविधियों, परिघटनाओं में रूपरेखा का अनुमान लगाते हैं (जैसे – तैरना, डूबना, मिश्रित होना, वाष्पन, अंकुरण, खराब हो जाना) । 05.95A.07 संकेतों, दिशाओं, विभिन्न वस्तुएँ, इलाकों के भूमि चिह्नों और भ्रमण किए गए स्थलों को मानचित्र में पहचानते हैं तथा किसी स्थल के संदर्भ में दिशाओं का अनुमान लगाते हैं ।

• विविध वस्तु / बीज / पानी / अनुपयोगी पदार्थ आदि का गुणधर्म/गुण विशेषताएँ जाँचने के लिए आसान प्रयोग/ प्रात्यक्षिक करना । • आसपास के परिवेश का निरीक्षण कर खोज करना और बीजों का एक जगह से दूसरे जगह किस प्रकार वहन होता है, जंगल जहाँ कोई जान बूझकर पेड़ नहीं लगाते, वहाँ पेड़ कैसे बढ़ते हैं, उन्हें पानी कौन देता है, उन वृक्षों पर किनका अधिकार होता है, ऐसे विविध विषयों पर विश्लेषणात्मक विचार करना । • रैन बसेरा, छावनी में रहने वाले लोग, वृद्धाश्रमों को भेंट देना, वृद्ध/दिव्यांग व्यक्तियों से संभाषण करना, जो अपने भरण-पोषण के साधन बदलते हैं उनसे संभाषण करना, लोगों का मूल स्थान कौन-सा है, जहाँ उनके पूर्वज वर्षों से रहते थे, वह प्रदेश उन्होंने क्यों छोड़ा ? लोगों के स्थलांतर और परिवेश के तत्सम प्रश्नों पर चर्चा करना • घर/विद्यालय, पड़ोसी वहाँ की परिस्थिति संबंधित बच्चों के अनुभव, अभिभावक, शिक्षक, सहपाठी, घर/समाज के बुजुर्गों से जानकारी लेकर विश्लेषणात्मक विचार, चर्चा एवं मनन करना । • पक्षपात, पूर्वग्रह, साँचाबद्धता के बारे में एक-दूसरे को परस्पर विरुद्ध उदाहरण बताकर सहाध्ययी, शिक्षक व्यक्तियों के साथ खुलेपन से चर्चा करना । • परिसर के विविध विभाग/संस्था जैसे - बैंक, जल आपूर्ति विभाग, अस्पताल, आपदा निवारण केंद्र की क्षेत्रभेंट करके संबंधित व्यक्तियों से वार्तालाप करना तथा उनसे संबंधित संदर्भार्थ लगाना । • विविध प्रकार के भौगोलिक भू-भाग तथा वहाँ की जैवविविधता समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली विविध संस्थाएँ प्राणियों का बर्ताव पानी की कमी इसपर आधारित सूचनापट देखना तत्पश्चात किसी प्रदेश की भौगोलिक गुण विशेषताएँ तथा उससे निर्माण होने वाले व्यवसायों की अर्थपूर्ण (सार्थक) तथा परिचर्चा करना । • साधारण कृति करना, निरीक्षण की अंकन तालिका/चित्र/स्तंभालेख/पाई चार्ट/मौखिक/लिखित आदि रूप में रखना तथा उनका संदर्भार्थ लगाते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करना । • सजीवों (प्राणी तथा वनस्पति) के बारे में आस्था संबंधी चर्चा जैसे - पृथ्वी पर आवास के हकदार, प्राणियों के अधिकार, प्राणियों से (नैतिक) मानवीय आचरण । • सबकी भलाई के लिए निस्वार्थ बुद्धि से कार्य करने वाले व्यक्ति के अनुभव तथा उनकी प्रेरणाएँ ज्ञात करना । • वनस्पतियों की निगरानी करना । पक्षी/प्राणियों को अन्न देना, वस्तु/जेष्ठ व्यक्ति, दिव्यांगों की देखभाल करना, सहानुभव लेना, नेतृत्वगुण आदि के संदर्भ में अग्रसर होते हुए गुट में एकत्रित कार्य करने में सहभागी होना । जैसे - विविध अंतर्गृही/बाह्य/स्थानीय/समकालीन/उपक्रम/खेल नृत्य/ललित कला, वैसे ही प्रकल्प तैयार करना/भूमिका अभिनय करना । • आपातकाल तथा विपदाओं का सामना करने के लिए तत्पर रहने के लिए अभिरूप कवायद का अभ्यास करना । • परिक्रमण और परिभ्रमण की प्रक्रिया समझ लेना । • मानचित्र में भूरूप पहचानना, बनाना जैसे समोच्च रेखाएँ, रंग पद्धति जैसे दर्शक प्रारूप आदि चिह्न और प्रतीकों का अंतर जानना । • भारत की प्राकृतिक रचना समझ लेना । • भारत के विविध भाषा, वस्त्र, त्योहार, उत्सव, विशेषताएँ आदि जानकारी इकट्ठा करना । • समय के अनुसार यातायात के और संदेशवहन के साधन समझ लेना ।	05.95A.08 आसपास भ्रमण किए गए स्थानों के पोस्टर, डिजाइन, मॉडल, ढाँचे, स्थानीय सामग्रियाँ, चित्र, नक्शे विविध स्थानीय और बेकार वस्तुओं से बनाते हैं और कविताएँ/नारे/यात्रा वर्णन लिखते हैं । 05.95A.09 अवलोकन और अनुभव किए गए मुद्दों पर अपने मत व्यक्त करते हैं । समाज में प्रचलित रीतियों/घटनाओं का संबंध समाज की बड़ी समस्याओं के साथ जोड़ते हैं । (जैसे – संसाधनों का उपयोग/स्वामित्व में भेदभाव, स्थलांतर, विस्थापन, बहिष्कृति और बाल अधिकार आदि से जोड़ते हैं ।) 05.95A.10 स्वच्छता, स्वास्थ्य, कूड़े के प्रबंधन, आपदा/आपातकालीन स्थितियों से निपटने के संबंध में तथा संसाधनों (भूमि, इंधन, वन, जंगल इत्यादि) की सुरक्षा हेतु सुझाव देते हैं तथा सुविधावंचित के प्रति संवेदना दर्शाते हैं । 05.95A.11 मानचित्र के संकेतचिह्न सहित नक्शा वाचन करते हैं । 05.95A.12 मानचित्र देखकर भारत के प्राकृतिक रचना का वर्णन करते हैं। 05.95A.13 भारत की राजनैतिक सीमा का ध्यान रखते हुए भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता बताते हैं । 05.95A.14 यातायात और संदेशवहन के अतिप्रयोग से सजीव और पर्यावरण के परिणाम बताते हैं ।

अनुक्रमणिका

अ.क्र.	पाठों के नाम	पृष्ठ क्र.
१.	हमारी पृथ्वी-हमारा सौरमंडल	१
२.	पृथ्वी का घूमना	६
३.	पृथ्वी और सजीव सृष्टि	११
४.	पर्यावरण का संतुलन	१८
५.	पारिवारिक मूल्य	२४
६.	नियम सबके लिए	२८
७.	हम ही हल करें अपनी समस्याएँ	३२
८.	सार्वजनिक सुविधाएँ और हमारा विद्‌यालय	३५
९.	मानचित्र : हमारा साथी	३९
१०.	भारत की पहचान	४४
११.	हमारा घर तथा पर्यावरण	५१
१२.	सबके लिए भोजन	५८
१३.	खाद्‌यपदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियाँ	६४
१४.	परिवहन	६८
१५.	संचार तथा प्रसार माध्यम	७३
१६.	पानी	७७
१७.	वस्त्र - हमारी आवश्यकता	८२
१८.	पर्यावरण और हम	८९
१९.	भोजन के घटक	९६
२०.	हमारा भावनात्मक जगत	१०३
२१.	कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग	१०७
२२.	वृद्‌धि और व्यक्तित्व का विकास	११५
२३.	संक्रामक रोग और रोग प्रतिबंधन	१२१
२४.	पदार्थ, वस्तु और ऊर्जा	१२७
२५.	सामुदायिक स्वास्थ्य	१३३

The following foot notes are applicable :-

1. © Government of India, Copyright 2015.

2. The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher.
3. The territorial waters of India extend into sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.
4. The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh.
5. The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act.1971," but have yet to be verified.
6. The external boundaries and coastlines of India agree wih the Record/Master Copy certified by Survey of India.
7. The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned.
8. The spellings of names in this map, have been taken from various sources.